भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, 'नारकोटिक्स हाउस' राजस्व कॉलोनी के पास, नीमच (म.प्र.) 458441	सत्यमेव जयते	Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue Central Bureau of Narcotics **O/o the Deputy Narcotics Commissioner,** "Narcotics House", Near Rajaswa Colony, **Neemuch (M.P.)** 458 441
EPABX-07423-223030	FAX- 07423-220077/220099	e-mail : dnc-neemuch@cbn.nic.in

F.No. I(22)4/Adm/HAO/2020- Dated : 19.03.2020

::निविदा सूचना::

इस कार्यालय के अधीनस्थ जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के विभिन्न तौल केन्द्रों नीमच, मनासा, सिंगोली, मन्दसौर (2 केन्द्र), सीतामउ, जावरा, दूधाखेडी(गरोठ) पर अफीम तौल का कार्य किया जायेगा, जिसमें अफीम के तौल कार्य में प्रयोग होने वाले 20–22 Hot Air Electrical Oven के रख–रखाव हेतु निविदाएं आंमत्रित की जाती है।

1. अप्रैल 2020 के प्रथम सप्ताह से लगभग 20 दिनों के लिए अफीम तौल का कार्य किया जायेगा।
2. इच्छुक फर्म अपनी मुहरबंद निविदाओं के लिफाफे दिनांक 23.03.2020 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में प्रस्तुत कर सकते है, जिन्हे दिनांक 23.03.2020 को दोपहर 15:00 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोला जाएगा।
3. निविदादाता को प्रति ओवन के रखरखाव की दर से निविदा करनी है। यदि फर्म G.S.T में रजिस्टर्ड है तो G.S.T की दर व राशि का स्पष्ट उल्लेख करें व साथ ही G.S.T का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करे।

नियम व शर्ते

1. ओवन विभिन्न संख्या में कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय एवं गरोठ खण्ड में रखे है जिन्हे जॉंच कर मरम्मत कार्य दिनांक 30 मार्च 2020 तक पूरा करना होगा। इस कार्य हेतु किसी भी कार्य दिवस में उपरोक्त कार्यालयों में कार्यालय समय सुबह 09:30 बजे से 18:00 बजे तक जाया जा सकता हैं।
2. उक्त सभी ओवन की मरम्मत/रखरखाव तथा पूरे तौल कार्य के दौरान कार्य स्थिति मे रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस हेतु उसे अलग से किसी प्रकार का प्रभार, व्यय नहीं दिया जायेगा।
3. उक्त सभी ओवन अफीम तौल कार्य हेतु विभिन्न अफीम तौल केन्द्र पर जायेंगे। अफीम तौल कार्य माह अप्रेल के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होने की संभावना है, जो लगभग 20 दिनों तक चलेगा।
4. गरोठ एवं जावरा का तौल कार्य लगभग 10 दिन तक चलेगा।
5. तौल कार्य के दौरान यदि ओवन में कोई खराबी आती है तो निविदादाता को सूचना मिलते ही उसे तुरन्त ठीक करना होगा।
5. निविदादाताओं को निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रू. 5,000/– (रूपये पांच हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो ''आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच'' के नाम पर देय हो, साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. यदि बोली में चयन होने के बाद किसी भी कारणवश निविदादाता कार्य करने के लिये मना करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जावेगी एवं दूसरी सबसे कम दर वाले निविदादाता को प्रदान कर दी जावेगी जिसके बारे में पुनः विचार नही किया जावेगा।
9. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।
10. सर्वाधिकार श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निविदा/सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा नई निविदा आमंत्रित करने का अधिकार श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच के पास सुरक्षित होगा।

19/03/2020

सहायक नारकोटिक्स आयुक्त,
नीमच (म.प्र.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को विभाग की वेबसाईट www.cbn.nic.in पर स्थान देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय एंव गरोठ खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मो को सूचित करें।

अधीक्षक (कार्य.)
नीमच (म.प्र.)